लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (राजस्व)
(जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी **के. के. शर्मा,** आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या/73/2020 (सू.अ.)
पंजीयन दिनांकः— 17.08.2020
GCMS No. :-2020/00310

श्री कैलाश चन्द्र डाड पुत्र श्री गोपीलाल डाड निवासी मण्डफिया, तहसील भदेसर

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम—2005

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

निर्णय

दिनांक 08.09.2020

सूचना का अधिकार अधिनियम—2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 06.07.2020 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं कराने से यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्रांक प्र.सं. सूचना का अधिकार 73/2020/(08.09)/543 दिनांक 19.08.2020 से लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को दिनांक 08.09.2020 से पूर्व कमेंट्स प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक (रजिस्टर्ड) से नियत दिनांक 08.09.2020 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

अपीलार्थी ने ड़ाक के माध्यम से प्रार्थना पत्र दिनांक 26.08.2020 प्रस्तुत कर अपना पक्ष रखा कि उसने आवेदन के बिन्दु संख्या 2 में परिवाद में की गई जांच के जांच प्रतिवेदन की प्रमाणित प्रतिलिपियां चाही थी जो उसे उपलब्ध नहीं कराई गई है। अतः आवेदन दिनांक 06.07.2020 के बिन्दु संख्या 2 की वांछित पूर्ण सूचनाऐं निः शुल्क दिलाने का आदेश प्रदान करावें।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
(जिला कलक्टर)
चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रकरण संख्या 73/2020 (सू.अ.)
श्री कैलाश चन्द्र डाड निवासी मण्डफिया बनाम लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ ने अपने पत्र क्रमांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2020/294 दिनांक 21.08.2020 से कमेंट्स प्रेषित किये जो इस प्रकार है:–

1. यह कि प्रार्थी श्री कैलाश चन्द्र पिता गोपीलाल डाड निवासी मण्डफिया, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन पत्र दिनांक 06.07.2020 को प्रस्तुत किया जो इस कार्यालय में दिनांक 09.07.2020 को प्राप्त होना सही है।
2. यह कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र से चाही जा रही सूचना के संबंध में प्रभारी अधिकारी, संस्थापन अनुभाग, जिला कार्यालय, चित्तौड़गढ़ से सूचना चाही गई जिनके पत्रांक/संस्था/प–4–1/लोसूअ/2020/841 दिनांक 28.07.2020 से प्राप्त सूचना प्रार्थी को इस कार्यालय के पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2020/2508 दिनांक 29.07.2020 को कुल किता–09 दस्ती उपलब्ध करा दी गई है। सूचना प्राप्ति की पावती की प्रति संलग्न है।
3. यह कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 06.07.2020 के बिन्दु संख्या 2 की सूचना प्राप्त नहीं होने से यह अपील प्रस्तुत की है, इस संबंध में प्रभारी अधिकारी संस्थापन अनुभाग, जिला कार्यालय चित्तौड़गढ़ से प्राप्त सूचना दिनांक 28.07.2020 में स्पष्ट वर्णित है कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 एवं 2 में वर्णित सूचना में कार्यवाही विचाराधीन होने तथा जांच अधिकारी से जांच प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने से प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 की सूचना उपलब्ध कराई गई है।
4. यह कि प्रार्थी द्वारा चाही जाने वाली सूचना के संबंध में वांछित सूचना दिनांक 06.08.2020 को दस्ती उपलब्ध करा दी गई है।
5. यह कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील पर जवाब स्वीकार कर अपील को निरस्त कराने का श्रम करावें।

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
(जिला कलक्टर)
चित्तौड़गढ़ (राज.)

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या 73 / 2020 (सू.अ.)
श्री कैलाश चन्द्र डाड निवासी मण्डफिया बनाम लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील तथा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने पत्रांक / एडीएम / पीए / लोसूअ / 2020 / 294 दिनांक 21.08.2020 से प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नकों का अवलोकन कर उस पर मनन किया। जिसके अनुसार अपीलार्थी को लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ द्वारा उसके द्वारा वांछित बिन्दु संख्या 01 की सूचनां / प्रमाणित प्रतिलिपियां दस्ती उपलब्ध करा दी गई है।

जहां तक अपीलार्थी का उसके आवेदन दिनांक 06.07.2020 अनुसार बिन्दु संख्या 02 की सूचना उपलब्ध नहीं कराने का प्रश्न है वहां हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि इस संबंध में लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) द्वारा अपीलार्थी को बिन्दु संख्या 2 में वांछित सूचना के संबंध में कार्यवाही विचाराधीन होने तथा जांच प्रतिवेदन संबंधित जांच अधिकारी से प्राप्त नहीं होने के संबंध में अवगत कराया जा चुका है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर स्पष्ट है कि अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित बिन्दु संख्या 01 की सूचना लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) द्वारा जरिये दस्ती उपलब्ध कराई जा चुकी है तथा बिन्दु संख्या 02 के संबंध में कार्यवाही विचाराधीन होने तथा जांच अधिकारी से जांच प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने संबंधी जानकारी उपलब्ध करा दी गई है।

निष्कर्षतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है।

(के. के. शर्मा)
आई.ए.एस.
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्रमांक / सरिश्ता / प्र.सं. / 73 / 2020(सू.अ.) / 581 दिनांक 08 / 9 / 2020

प्रतिलिपिः–

1. लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़
2. श्री कैलाश चन्द्र डाड पुत्र श्री गोपीलाल डाड निवासी मण्डफिया, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official